प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष-2022
प्र0इ0रि0 सं. ....403/22.........दिनांक.....13/10/2022

2. (I) **अधिनियमः-** धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (II) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (III) **अधिनियम** .... **धारायें** ....
   (IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0**......................

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....212.... **समय** ....6:30 pm

   (ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, **दिनांक** 12.10.2022 **समय** 2.24 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....04.10.2022............

4. **सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित**

5. **घटनास्थलः-** ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर दिशा करीब 125 कि0मी0
   (ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं.**................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....**जिला** ......

6. **(i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-**
   (अ) नाम-श्री राकेश कुमार
   (ब) पिता/पति का नाम- श्री अमरसिंह
   (स) जन्म तिथी- उम्र 23 साल
   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय- प्राईवेट जॉब (ई-मित्र संचालन)
   (ल) पता- गांव कैरवाली (पुरानाबास), तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
   सहपरिवादीः- श्री मुकेश कुमार जाखड़ पुत्र श्री भीवांराम जाखड़, उम्र 32 साल निवासी गांव राणासर, पोस्ट सिरोही, तह. नीमकाथाना, सीकर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः-**

1. आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी पुत्र श्री अलीमुद्दीन कुरेशी, उम्र-39 साल, निवासी-वार्ड नं0 17, नजदीक सब जेल, छावनी, नीमकाथाना, जिला सीकर, हाल सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-**.....

9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**...

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-** कुल 25,000/-रू0

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 04.10.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस राजेन्द्र कुमार मीना को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे हुये दो व्यक्तियों जिनमें परिवादी का नाम श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी का नाम मुकेश कुमार जाखड़ (परिवादी के जीजाजी) के रूप में परिचय करवाया। परिवादी राकेश कुमार द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के नाम मार्क करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व सहपरिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। उक्त दोनो व्यक्तियों से उनका नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र श्री अमरसिंह, उम्र 23 साल निवासी गांक कैरवाली (पुरानाबास), तहसील नीमकाथाना जिला सीकर बताया तथा दुसरे ने अपना नाम श्री मुकेश कुमार जाखड़ पुत्र श्री भीवांराम जाखड़, उम्र 32 साल निवासी गांव राणासर, पोस्ट सिरोही, तह. नीमकाथाना, सीकर तथा परिवादी का रिश्तेदारी में जीजा होना बताया। तदुपरान्त परिवादी राकेश कुमार द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना का विस्तार से अवलोकन किया, जिसमें अंकित किया है कि ''अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, जयपुर, विषय रिश्वत मांग के खिलाफ कार्यवाही हेतु। महोदय नम्र निवेदन है कि मै राकेश कुमार पुत्र अमरसिंह एक ई-मिल संचालक हूं और मेरी आधार मशीन भी चालू है दिनांक 30.09.2022 को मुझे पोर्टल पर पता चला कि मेरी आधार मशीन को बन्द कर दिया जिस पर अपने जीजा जी के साथ प्रोग्रामर नीमकाथाना से मिलने गया। मै अपने जीजा जी मुकेश कुमार जाखड़ पुत्र भीवाराम जाखड़ के साथ जाकर प्रोग्रामर श्री अब्दुल खलील कुरेशी को मेरी आधार मशीन की आईडी बन्द करने के बारे में पूछा तो उसने हंसते हुये कहा कि मुझे पता है, आप लोग पहले आकर नही मिलोगे और समय पर मंथली नही दोगे तो यही होगा। फिर हमने उनसे बार-बार बन्द करने का कारण पूछा तो कुछ नही बताया और पुनः नई आधार मशीन की आईडी चालु करने के लिए कहा और नई आधार मशीन की आईडी चालु करने के एवज में मेरे से 20,000 रू. तथा उसके बाद हर महिने 10,000 रू. मंथली देने के लिए दबाव बनाते हुये मुझसे रिश्वत मांग की। रिश्वत के पैसे की व्यवस्था कर पुनः मिलने के लिए कहा। प्रोग्रामर खलील जी बहुत ही चालाक व होशियार प्रवतृती के व्यक्ति है जो बोलते कम है व रिश्वत मांगने के लिए ज्यादातर ईशारो में मिठाई खिलाओ, पुरानी मिठाई का क्या हुआ, मिठाई खिलानी पेड़गी, ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पड़ेगा जैसे शब्दो का प्रयोग करता है व कागज पर पेन से लिखकर या अंगुली से लिखकर भी रिश्वत की मांग करता है। प्रोग्रामर श्री अब्दुल खलील कुरेशी द्वारा मुझसे मेरे वैध कार्य की एवज में 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की है। कृपया प्रोग्रामर के खिलाफ कार्यवाही करने का श्रम करें। प्रोग्रामर द्वारा बिना कोई कारण के आधार की आईडी बन्द कर रिश्वत के लिए दबाव बनाया जाता है, उसके द्वारा कई और ई-मिल संचालकों से भी इसी तरह दबाव बनाकर रिश्वत प्राप्त की गई है। अतः उक्त प्रोग्रामर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और मेरी पुर्व की आधार आईडी पुनः चालु करवाने की व्यवस्था करवाने का श्रम करें। एसडी राकेश कुमार, (राकेश कुमार) राकेश कुमार पुत्र अमरसिंह गांव कैरवाली (पुरानाबास) तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.), मो.नं. 8209862659'' मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है तथा मेरा व मेरे जीजा जी का प्रोग्रामर श्री खलील जी से किसी भी प्रकार का रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है और न ही किसी प्रकार की रंजिश है। सह परिवादी ने बताया कि मेरी भी ई-मित्र की दुकान है जिसमें मै अन्य कार्यो के साथ साथ नये आधार कार्ड व आधार नम्बर अपडेशन का कार्य करता हूं। मेरा श्री खलील जी से आधार नम्बर अपडेशन व अन्य कार्यो के लिए काम पड़ता ही रहता है जिसके लिए मै खलील जी से मिलता रहता हूं जिस कारण खलील जी मेरे को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानते है। एक दो दिन पूर्व राकेश ने मेरे को बताया कि मेरी आधार मशीन की आईडी बन्द हो गई है जिसका हमने पोर्टल पर पता किया तो वो आगे से ही बन्द होना पाई गई। जिसके बाद मै राकेश को लेकर प्रोग्रामर श्री अब्दुल खलील कुरेशी के पास जाकर आधार मशीन की आईडी बन्द होने की बात बताई तो उन्होने कोई सन्तोषप्रद जबाव नही दिया तथा कहा कि वो तो किसी कारण से बन्द हो गई, अब वो तो दुबारा चालु नही होयेगी लेकिन मै दुसरे के नाम से नई आधार मशीन आईडी चालु करवा दुंगा। लेकिन उसके लिए 20,000 रूपये लगेंगे तथा दुबारा वो बन्द ना हो इसके लिए 10,000 रूपये आप हर महिने मेरे को देने पडेंगे। आधार मशीन आईडी चालू होने के बाद में एक-दो महिने में आप डीडी से या और किसी माध्यम से सेक्यूरिटी के रूप में 30,000 रूपये बैंक में भी जमा करवा देना। प्रोग्रामर बहुत ही होशियार है जो कम बोलता है रिश्वत मांगने के लिए ज्यादातर ईशारो में बातें करता है। ईशारो में जैसे मिठाई खिलाओं, पुरानी मिठाई का क्या हुआ, ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पड़ेगा जैसे शब्दो का प्रयोग करता है। कभी कभी कागज पर लिखकर या टेबल या फर्द पर अंगुली से लिखकर भी रिश्वत की मांग करते है तथा अधिकांशतः व्हाटसअप कॉलिंग ही करता है। खलील जी, अवैध रूप से राकेश से 20,000 रूपये नई आधार मशीन आईडी चालु करवाने के व 10,000 रूपये उसको भविष्य में बन्द नही करने की एवज में रिश्वत के रूप में हमसे मांग कर रहे है। प्रोग्रामर खलील

जी मेरा जानकार होने की वजह से मेरी मौजूदगी में ही रिश्वत के संबंध में बातें करेगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् उक्त दोनो को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के विषय में अवगत कराते हुये कार्यालय के श्री सुभाष कानि. 592 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी व सहपरिवादी से आपस में परिचय कराया। संदिग्ध प्रोग्रामर व उनके मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान होने वाली आवाज को रिकॉर्ड करने हेतु श्री सुभाष कानि. से कार्यालय के मालखाना से दो विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (एक मिनी व दुसरा पेनड्राईव नुमा) व दो नये मैमोरी कार्ड मंगवाये जाकर परिवादी व सहपरिवादी को उक्त दोनो वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। श्री सुभाष कानि. 592 को परिवादी श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ के साथ भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई, उक्त मांग सत्यापन के सम्बंध में मन् उपअधीक्षक पुलिस को श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 ने जरिये फोन अवगत कराया कि मै, परिवादी राकेश कुमार व सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ के साथ ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 4.18 पीएम पर नीमकाथाना बाईपास रोड़, नीमकाथाना पहुंचे, जहां पर सहपरिवादी मुकेश कुमार से संदिग्ध की लोकेशन पता करने के लिए संदिग्ध से व्हाटसअप कॉल करने के लिए कहा गया। उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वक्त 4.22 पीएम पर मिनी वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सहपरिवादी के मोबाईल से संदिग्ध के मोबाईल नं. 8104182585 पर व्हाटसप कॉल करवाया गया तदुपरान्त नॉर्मल कॉल करवाया गया तो संदिग्ध का फोन व्यस्त पाया गया। कुछ ही समय बाद सहपरिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध का नॉर्मल कॉल आया जिस पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाया गया जिसमें उसने कुछ शायरी कहते हुये मिलने के लिए अपने कार्यालय में ही बुलाया। वॉइस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित पुनः मेरे पास रखा। तत्पश्चात् सहपरिवादी को समय 4.46 पीएम पर मिनी डिजीटल वाईस रिकार्डर व परिवादी को पेन्ड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध से बातचीत करने के लिए उसके कार्यालय के लिए रवाना किया। कुछ समय पश्चात परिवादी व सहपरिवादी संदिग्ध के कार्यालय, पंचायत समिती, नीमकाथाना से बाहर आये और सुरक्षित स्थान पर मैने परिवादी राकेश व सह परिवादी मुकेश कुमार को पूर्व में सुपुर्द किये गये वाईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। उक्त दोनो से पूछने पर उन्होने बताया कि प्रोग्रामर के पास उसके कार्यालय में पहुचे तो प्रोग्रामर अब्दुल खलील कुरेशी, लाईट नही आने की वजह से कार्यालय के बाहर बालकनी में कुर्सी पर बैठे हुये मिले व उनके पास एक व्यक्ति ओर बैठा हुआ था जिसको मै पहले से जानता हूं जिसका नाम मनीष है वो भी ई-मित्र की दुकान चलाता है, वहां पर हम इधर उधर की बातें करते रहे, कुछ समय बाद मनीष वहां से चला गया व मुझे खलील जी बातचीत करते हुये ईशारा करके कार्यालय की छत पर ले गये, मैने कहां कि मेरा रिश्तेदार है दुखी हो रहा है, कुछ समय बाद मैने राकेश को भी उपर बुला लिया, राकेश ने अपने आईडी चालु करवाने के लिए प्रोग्रामर से कहा तो उसने राकेश से हंसते हुये कहा कि तू कोई सवामणी-ववामणी तो करता नही है, तो राकेश ने कहा कि मेरी चालू कर दो या बाई (बहन के नाम से) की चालू कर दो तो प्रोग्रामर ने कहा कि चालु के लिए तो देख लेंगें, बाद में गड़बड़ होती है, कल को कोई आदमी बिच में घुस जाये, मान लो मुकेश जी ही घुस जाये, राकेश बोला कि सर करवा दो चालु, तो मैने कहा कि चालू तो हो जायेगी, अपना तो रिश्तेदारी का मामला है प्रोग्रामर ने मेरे व राकेश के सामने कार्यालय की छत पर अपने पैर से 10 लिखा, जिस पर मैने राकेश से कहा कि ये देख ले साब ने मोटे-मोट अक्षरों में दस लिख दिये है इसका मतलब 10 रूंपये नही है तो राकेश ने प्रोग्रामर के सामने ही कहा कि हां, मै समझ गया कि इसका मतलब दस हजार है, इसी प्रकार उसने बाद में कहा कि पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है ट्रेन का, पिछली मिठाई भी नही खिलाई वो भी खिलानी है, परसों नहा धो के आ जाना वगैरा बातें हुई, प्रोग्रामर द्वारा दशहरे के अगले दिन परसो हमारे से 10 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेने की पूरी-पूरी सम्भावनाएं है। सहपरिवादी द्वारा मन् कानि. को सुपुर्द किया गया मिनी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो सहपरिवादी व परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। इस प्रकार अब तक की सत्यापन कार्यवाही से संदिग्ध द्वारा परिवादी से उसके वैध कार्य के लिए 10 हजार रूपये रिश्वत मांगने के तथ्य प्रकट हुये है। दिनांक 06.10.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री सुभाष कानि. से कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे विभागीय मिनी वाईस रिकॉर्डर व पेन ड्राईवनुमा विभागीय वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया। तकनिकी कारणों से परिवादी राकेश कुमार को सुपुर्द किये गये पेन ड्राईवनुमा विभागीय वॉईस रिकॉर्डर में वार्ताएं रिकॉर्ड नही हो सकी। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा मिनी वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई वार्ताओं को सरसरी तौर पर सुना गया तो कानि. द्वारा दिनांक 04.10.2022 को मन् उप अधीक्षक को बताई गई बातो की ताईद हुई। गोपनीयता की दृष्टी से वॉइस रिकॉर्डर में सेव की गई वार्ताओं की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी। समय 8.00 एएम पर श्री सुभाष कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रोग्रामर मुझसे बन्धी के 5000 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेने के लिए आज अपने कार्यालय में बुला रहा है। इसलिए आज पुनः रिश्वत मांग सत्यापन की

कार्यवाही की जा सकती है। समय 09.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 सरकारी वाहन मय चालक के दो विभागीय वाईस रिकार्डर लेकर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कार्यालय से नीमकाथाना की ओर रवाना होकर समय 12.25 पीएम पर सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ निजी मोटरसाईकिल से नीमकाथाना बाईपास रोड़ के पास में उपस्थित मिला, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री सुभाष कानि. सरकारी वाहन से उतर कर मुकेश कुमार की मोटरसाईकिल के पास पहुंचे, सहपरिवादी ने बताया कि परिवादी राकेश किसी घरेलू आवश्यक कार्य में व्यस्त है, तथा आज संदिग्ध मेरे को ही कार्यालय में बुला रहा है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस व सुभाष कानि. सहपरिवादी के मोटरसाईकिल पर घटनास्थल की ओर रवाना हुये समय 12.50 पी.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस को मुकेश कुमार ने बताया कि आज प्रोग्रामर मेरे से बन्धी के रिश्वत के रूप में 5 हजार रूपये ले सकता है। मुकेश कुमार ने कहा कि मेरे पास प्रोग्रामर का फोन आयेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा तथा उसको बन्धी के 5 हजार रूपये भी दे दूंगा। तदुपरान्त श्री सुभाष कानि. को मिनी वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ की मोटरसाईकिल पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 07.15 पीएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस के पास श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 नीमकाथाना कस्बे में पूर्व निर्धारित स्थान पर आकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि सहपरिवादी को आवश्यक कार्य हो जाने के कारण वो अपने घर चला गया। समय 4.06 पीएम पर सहपरिवादी मुकेश को संदिग्ध ने व्हाट्सअप कॉल करके अपने पास पंचायत समिती कार्यालय नीमकाथाना में आने के लिए कहा, जिस पर संदिग्ध को दी जाने वाले रिश्वत राशि 5 हजार रूपये के नम्बर एक सफेद कागज पर अंकित किये, जिस पर समय 4.10 पीएम पर मुकेश कुमार को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पंचायत समिती कार्यालय में संदिग्ध के पास रवाना किया। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल लेकर पंचायत समिती, नीमकाथाना में प्रवेश कर गया। सहपरिवादी अपनी मोटरसाईकिल लेकर पंचायत समिती कार्यालय से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित स्थान पर मिलकर सहपरिवादी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में सहपरिवादी मुकेश कुमार से पूछने पर उसने बताया कि पंचायत समिति कार्यालय में पहुंचने के बाद प्रोग्रामर खलील जी के पास उनके कार्यालय में गया। मैने अपने मोबाईल का गुप्त कैमरा भी ऑन कर रखा था जिसमें उसकी एक क्लिप रिकॉर्ड हो पाई। खलील जी ने संदेहवश मेरा मोबाईल लेकर स्वीच ऑफ कर दिया। उसके बाद करीब सवा घण्टे तक खलील जी अन्य लोगो से वार्ताएं करता रहा, उनके जाने के पश्चात उन्होने मेरे से वार्ताए की जिसमे उन्होने इशारो में 5 हजार रूपये अपने हाथों में लेकर अपनी जेब में रख लिए। उसने मेरे को पूरे नीमकाथाना का हॉलसेलर बनाने, कमाई में से 5 प्रतिशत स्वयं के लिए लेने की वार्ता की। राकेश की फाईल के बारे में भी चर्चा की व कहा कि वो कल अपने हस्ताक्षर करके मेरे को फाईल दे जायेगा तथा सहपरिवादी द्वारा अपने मोबाईल में बनाये गये संदिग्ध के एक विडियों रिकॉर्डिंग क्लिप को मेरे मोबाईल में भेज दिया। सहपरिवादी ने बताया कि मैं अब यदि प्रोग्रामर से व्हाट्सअप कॉल करके परिवादी राकेश की फाईल के बारे में चर्चा करूंगा तो हो सकता है वो मेरे से इस संबंध में रिश्वत की मांग कर सकता है या अपनी सहमती दे सकता है। जिस पर समय 6.57 पीएम पर सहपरिवादी के मोबाईल नम्बर 9680222322 से संदिग्ध प्रोग्रामर के मो.नं. 8104182585 पर व्हाट्सअप कॉलिंग गई, उक्त वार्ता को वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड कर बंद किया गया। सहपरिवादी द्वारा संदिग्ध को दिये गये 5000 रूपये के नम्बर लिखे हुए कागज को कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। उक्त वार्ता में सहपरिवादी ने परिवादी राकेश की फाईल के संबंध में संदिग्ध से वार्ता कर संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि लेने के संबंध में अपनी सहमती दी गई। मन् उपअधीक्षक पुलिस वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना तो कानि. द्वारा बताई गये उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। व्हाट्सअप कॉल की वाईस क्लिप को सुनने पर पाया गया कि उक्त वार्ताओं में संदिग्ध ने कहा कि 'कोई दिक्कत नही अब आप कहोगे वैसे कर लेगे', 'कोई दिक्कत नही है वो जैसे आप कहोगे न वैसे कर लेगे', 'कोई बात नही देख लेगे बाद में' 'कोई दिक्तत नही है जैसे आप करोगे ना वो वैसे ही ठीक है'' वगैरा वार्ताएं की गई जिससे स्पष्ट होता है कि संदिग्ध परिवादी से रिश्वत राशि लेने हेतु सहपरिवादी को अपनी सहमती दे रहा है। कानि. के मोबाईल में सहपरिवादी द्वारा भेजे गये विडियों क्लिप को देखा गया तो उसमें संदिग्ध अपने कार्यालय में किसी अन्य व्यक्ति से वार्ताए करता दिखाई दे रहा है जो बार-बार सहपरिवादी के मोबाईल की ओर देख रहा है। तत्पश्चात् रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आये। गोपनीयता की दृष्टी से मिनी वॉइस रिकॉर्डर में सेव की गई वार्ताओं की आईन्दा नियमानुसार फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी। दिनांक 10.10.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुभाष कानि. ने अवगत कराया कि सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ ने बताया है कि आज संदिग्ध ने उसको अपने कार्यालय में बुलाकर राकेश की आधार आईडी मशीन की आईडी चालू करवाने की एवज में पहले मांगे गये रूपयों को डबल करने की बोलकर, 10 हजार की बजाय 20 हजार रूपये की मांग कर रहा है जिस पर मैने प्रोग्रामर के सामने ही राकेश को फोन कर कार्यालय में आने हेतु कहा तो राकेश ने आज शाम तक या एक-दो दिन में रूपयों की व्यवस्था कर आने के लिए कहा है, इसलिए मैं व राकेश कुमार 12 तारीख को उसको 20 हजार रूपये देने जायेंगे। अतः प्रोग्रामर अब राकेश की आईडी चालू करने के 10 हजार रूपयों के स्थान पर 20 हजार रूपये

रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है। अतः 12 तारीख को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 11.10.2022 को स्वतंत्र गवाहन 1. श्री आदित्य सिंह राजावत, कनिष्ठ सहायक व 2. राकेश कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, (पीएचईडी) जयपुर हाजिर आये। परिवादी व सहपरिवादी को दिनांक 12.10.2022 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया जाकर आरोपी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले 20 हजार रूपये लेकर सुबह 6.30 बजे आवश्यक रूप से कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता को बनाये रखने की हिदयात की गई। स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को भी कल दिनांक 12.10.2022 को 6.30 एएम पर आवश्यक रूप से चौकी में उपस्थित होने के निर्देश देकर पाबन्ध किया। दिनांक 12. 10.2022 को परिवादी राकेश कुमार व सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़, चोकी हाजा का स्टाफ एवं स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये। समय 7.15 एएम पर श्री आदित्य सिंह राजावत कनिष्ठ सहायक एवं श्री राकेश मीना कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, (पीएचईडी) जयपुर को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने की सहमती चाही तो दोनो सरकारी गवाहान ने अपनी-अपनी सहमती दी। जिस पर चौकी में उपस्थित परिवादी राकेश व सहपरिवादी मुकेश कुमार से दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाकर, परिवादी राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। समय 7.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहन श्री आदित्य सिंह राजावत एवं श्री राकेश मीना की मौजुदगी में परिवादी श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ को मन उपअधीक्षक पुलिस ने आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी राकेश कुमार ने संदिग्ध श्री अब्दुल खलील कुरेशी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट भारतीय मुद्रा के कुल राशि 20000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 20000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि. 438 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपर नगर, चतुर्थ, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया। तदुपरान्त परिवादी व सहपरिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री आदित्य सिंह राजावत से लिवाई जाकर उसके पास उनके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। चूंकि सहपरिवादी आरोपी से ज्यादा घुला मिला हुआ है अतः रिश्वत राशि सहपरिवादी द्वारा ही आरोपी को दी जायेगी। अतः फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री ओमप्रकाश कानि. 438 से सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाये तथा सहपरिवादी व परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी व सहपरिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् दोनो में से कोई भी अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414141484 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा सहपरिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री ओमप्रकाश कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी तथा सहपरिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री ओमप्रकाश कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री ओमप्रकाश कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां, नये गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु परिवादी व सहपरिवादी को वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि दोनो को पुनः समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त दोनो वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड (मिनी वॉइस रिकॉर्डर में नया व पेनड्राईव नुमा हेतु पूर्व से उपयोग में लिया जा रहा) श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी व

सहपरिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री ओमप्रकाश कानि. 438 को कार्यालय में छोडा गया। समय 8.15 एएम श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उपअधीक्षक पुलिस राजेन्द्र कुमार मीना मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय समस्त ट्रेप टीम मय मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही के प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन के नीमकाथाना की ओर रवाना हुये। श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी व सहपरिवादी के साथ उनकी निजी कार से नीमकाथाना की ओर रवाना कर आवश्यक हिदायत की गई। समय 11.00 एएम पर मन् उपअधीक्षक पुलिस व अन्य ट्रेप टीम के घटनास्थल पंचायत समिति नीमकाथाना के आस-पास पहुंच अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम हुये। श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी राकेश कुमार व सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ को समय 11.22 एएम पर वॉईस रिकॉर्डर चालू कर पंचायत समिति नीमकाथाना की ओर रवाना किया था जिनके पिछे-पिछे मै भी रवाना हो चुका हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप टीम ने अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी व सहपरिवादी के निर्धारित ईशारे के लिए मुकीम हुए। समय 11.37 एएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़, परिवादी राकेश कुमार को पंचायत समिति के पास ही छोड़कर, मेरे पास उपस्थित हुआ है। जिससे मैने मिनी वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया है। सहपरिवादी ने बताया कि अभी आरोपी अब्दुल खलील कुरेश अपने कार्यालय में नही है। संभवतया वो 40-45 मीनट बाद अपने कार्यालय में आयेगा। कुछ समय पश्चात परिवादी राकेश कुमार भी मेरे पास आया जिसमे भी पेनड्राईवनुमा वॉइस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर मेरे पास रख लिया है। परिवादी श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड को समय 01.08 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार को विभागीय पेनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड को विभागीय मिनी वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर उनकी प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा उनके पीछे-पीछे श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम भी परिवादी व सहपरिवादी एवं सुभाष कानि0 के पीछे-पीछे रवाना होकर पंचायत समिति भवन कोटपूतली रोड नीमकाथाना के पास आकर ट्रेप जाल बिछाया। परिवादी व सहपरिवादी पंचायत समिति भवन में प्रवेश कर गये। मन उपअधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम के पंचायत समिती, कार्यालय नीमकाथाना के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी व सहपरिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुभाष कानि. ने समय करीब 02.24 पीएम पर बताया कि सहपरिवादी ने जरिये वॉट्सअप आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी द्वारा रिश्वती राशि के 20,000/रूप्ये प्राप्त करने का संदेश भेजकर पंचायत समिती कार्यालय के बाहर आ गये है जिस पर समय करीब 02.25 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम के परिवादी व सहपरिवादी के पास पहुंचे। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहन, एसीबी टीम एवं परिवादी श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड को हमराह लेकर ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर में प्रवेश किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री राकेश कुमार से विभागीय पेनड्राईवनुमा वॉईस रिकॉर्डर व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड से विभागीय मिनी वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखे। परिवादी व सहपरिवादी ने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि ये प्रोग्रामर अब्दुल खलील कुरेशी है। उक्त व्यक्ति की टेबल पर रखी हुई एक प्लास्टिक की नेम प्लेट पर भी अंग्रेजी में Abdul KhaLeel Qureshi Programmer Department of information Technology and Communication लिखा हुआ था। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी को अपना व एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया तथा सावधानीपूर्वक श्री मनीष कुमार कानि0 नं0 315 द्वारा आरोपी की कलाई से उपर बांया हाथ व श्री राकेश मीणा स्वतंत्र गवाह ने आरोपी की कलाई से उपर दांया हाथ पकडवाया जाकर आरोपी से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री अब्दुल खलील कुरेशी पुत्र श्री अलीमुद्दीन कुरेशी, उम्र-39 साल, निवासी-वार्ड नं0 17, नजदीक सब जेल, छावनी, नीमकाथाना, जिला सीकर, हाल सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस को सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड ने आरोपी की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि इन्होंने मेरे से परिवादी राकेश कुमार की बंद हुई आधार मशीन की आईडी को पुनः चालू करने, परिवादी को नई आईडी चालू कर देने तथा भविष्य में उक्त आईडी को बन्द नही करने की एवज में 20,000/रूप्ये रिश्वती राशि को मेरे को कार्यालय की छत पर ले जाकर बिना बोले ईशारे से अपनी पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जैब रखवाये। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने रिश्वती राशि के 20,000/- रूप्ये के बारे में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि मैने मुकेश से किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि नहीं ली है, ना ही मुकेश का कोई काम मेरे पास है। मेरी मुकेश को एक गाडी दिलवाने की बात हुई थी जिसके संबंध में इसने आज जबरदस्ती मेरी पेन्ट की जेब में ये 20,000/रूप्ये डाल दिये

थे। मेरे मुकेश व राकेश से अच्छे संबंध थे, ये मेरे पास मिलने आते रहते है। इस पर सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि ''आज मै और राकेश श्री अब्दुल खलील कुरैशी के पास इनके कार्यालय में आये तो इसने राकेश को ईशारो से बाहर जाने का ईशारा किया था, जब मै इनके पास कार्यालय में अन्दर आया तो सज्जन जी (सहायक प्रोग्रामर) बैठे थे, जिनको इसी कार्यालय में कार्यरत होने के कारण मै जानता हूं, जो आपस में स्कोडा गाड़ी लेने की बाते कर रहे थे, मै भी इसके सम्बंध में इनसे बाते करने लग गया था, मैने इनसे ना तो मेरे लिए गाड़ी खरीदने की बात की थी और ना ही गाड़ी के पैसे दिये थे। सज्जन जी के जाने के बाद में ये मेरे को ईशारा कर कार्यालय की छत पर ले गये तथा वहां पर जाने के बाद में इसने मेरे से राकेश की आईडी के बारे में वार्ता कर 20,000/-रूपये रिश्वती राशि को मेरे से बिना बोले ईशारे से अपनी पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जैब में रखवाई। जिस पर श्री सज्जन कुमार सहायक प्रोग्रामर को मौके पर बुलाया गया, सज्जन कुमार के आने पर आरोपी व सज्जन कुमार को आमने सामने कर पूछताछ की जायेगी। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश मीणा से आरोपी की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जैब से 500-500 रूप्ये के नोट मिले, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री राकेश मीणा व श्री आदित्य सिंह राजावत से गिनवाया तो उक्त 500-500 के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये होना पाया, जिस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने उक्त नोट स्वतंत्र गवाह श्री राकेश मीणा के पास सुरक्षित रखवाये। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाईल फोन को पेश करने के लिए कहा तो आरोपी ने एक मोबाईल वीवो कंपनी का पेश किया, जिसे स्वतंत्र गवाह श्री राकेश मीणा के पास सुरक्षित रखवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी को तसल्ली देकर रिश्वत के रूप में लिए गये रूपयों के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने पुनः पूर्व में बताये गये कथन ही दोहराए। इसी दौरान श्री सज्जन कुमार सहायक प्रोग्रामर भी कार्यालय में उपस्थित हो चुका है जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सज्जन कुमार मीना पुत्र श्री कल्याण सिंह उम्र 42 साल निवासी पुरानाबास पुलिस थाना सदर नीमकाथाना हाल सहायक प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना बताया व मुकेश कुमार व अब्दुल खलील कुरेशी के बीच होने वाली वार्ताओं के बारे में पूछा तो बताया कि आज मै जब खलील जी के कार्यालय में बैठा बाते कर रहा था तो उसी समय श्री मुकेश कुमार व राकेश कार्यालय में आये तो खलील जी ने राकेश को ईशारा कर कार्यालय से बाहर भेज दिया। मुकेश कार्यालय के अन्दर आकर मेरे पास बैठ गया। मै उस समय खलील जी से स्कोडा गाड़ी के खरीदने व मेरी सेन्टरों कार को बैचने के संबंध में वार्ताए कर रहे थे। मुकेश कुमार भी हमारे साथ बाते करने लग गया। मुकेश जी स्वयं के लिए कोई गाड़ी खरीदने के लिए किसी प्रकार की बाते नही कर रहा था। उक्त वार्ता के संबंध में सहपरिवादी मुकेश कुमार से प्राप्त वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त बातों की ताईद हुई जिनको सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार ने भी ताईद किया। परिवादी राकेश कुमार से प्राप्त किये गये पेनड्राइवनुमा वाईस रिकॉर्डर को सुना गया तो उसमे तकनीकी कारणों से करीब 3.30 मिनट बाद कोई भी आवाजे रिकॉर्ड होना नही पाई गई। मन् उपअधीक्षक पुलिस ने दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.10.2022 को सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ से प्राप्त अग्रीम रिश्वती राशि के तौर पर प्राप्त 5000/- रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी ने सहपरिवादी से किसी भी प्रकार की कोई रिश्वती राशि प्राप्त नही करना बताया। इस पर सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड़ ने आरोपी के कथनो को खण्डन करते हुए बताया कि दिनांक 06.10.2022 को मै इनके कार्यालय में आया तो आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरैशी मिले, जिन्होने पूर्व मांग अनुसार मेरे मंथली के रूप में 5000/-रूप्ये लेने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था, उक्त नोटो में 9 नोट पांच-पांच सौ व 5 नोट 100-100 रूप्ये के थे जिनके नम्बर मेरे द्वारा एक सफेद कागज पर नोट करवाये थे, जो इन्होने मेरे से प्राप्त कर लिए थे, साथ ही इन्होने मेरे को पूरे नीमकाथाना होलसेलर बनाने व कमाई में से पांच प्रतिशत देने तथा राकेश की फाईल के बारे में ,चर्चा की थी तथा कहा था कि कल वो हस्ताक्षर करके अपनी फाईल देकर चला जायेगा। इस पर मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी को तसल्ली देकर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त 5000 रूप्ये रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। आरोपी से उक्त रिश्वती राशि के बारे में बार-बार पूछने पर कोई जवाब नही दिया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी के हाथों व पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जेब जहां पर आरोपी द्वारा प्राप्त रिश्वती राशि 20,000/-रूपये को सहपरिवादी से डलवाये गये थे, का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से तीन साफ कांच के गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के तीन गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के एक गिलास के घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर बहुत हल्का झांई देता हुआ नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को पूर्ण रूप से गुलाबी न

होकर बहुत हल्का झांई देता होना स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर बहुत हल्का झांई देता हुआ नजर आया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग पूर्ण रूप से गुलाबी न होकर बहुत हल्का झांई देता होना स्वीकार किया, जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त धोवन में फिनोफ्थलीन पाउडर की उपस्थिती हेतु पृथक से परीक्षण करवाया जायेगा। तत्पश्चात् आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी की पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जेब जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उक्त जेब को तीसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की पहनी हुई पेंट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर, संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क-P अंकित किया गया। आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी की पहनी हुई पेंट के सामने की बांयी जेब से बरामद हुई 500-500 रूपयों के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये रिश्वती राशि जो स्वतंत्र गवाह श्री राकेश मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए। आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी से बरामद शुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 20,000/- रूपये के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सिल चिट मोहर कर मार्क-M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। उक्त कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति आरोपी के कार्यालय में उपस्थित हुआ व अपना नाम मनीष यादव मो0 नं0 9636933168 बताया व कहा कि मै इस कार्यालय के नीचे ई-मित्र संचालन व आधार नम्बर अपडेशन का कार्य करता हूं। खलील जी मेरे से भी आधार नम्बर अपडैशन व नये आधार नम्बर जारी करवाने के रिश्वत के रूप में रूप्यों की मांग करते थे। मनीष यादव के उक्त कथन के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जावेगी। आरोपी के कार्यालय की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु व कागजात नही पाये गये। आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी को दिनांक 04.10.2022 एवं 06.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 12.10.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो विभागीय मिनी वॉईस रिकॉडर में रिकॉर्ड है, उक्त रिकॉर्ड आवाज का स्वयं की आवाज से मिलान करवाने हेतु नमूना आवाज देने का पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी, सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग नीमकाथाना, सीकर को लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी राकेश कुमार (ई-मित्र संचालक) की आधार मशीन की बंद हुई आईडी को पुनः चालू करने एवं नई आधार मशीन की आईडी चालू करके देने तथा भविष्य में उक्त आईडी को बन्द नहीं करने की एवज में कुल 30,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। आरोपी द्वारा उक्त के संबंध में परिवादी व सहपरिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.10.2022 को 10,000/रूप्ये तथा दिनांक 10.10.2022 को परिवादी के उक्त कार्य के लिये सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 12.10.2022 को आरोपी अब्दुल खलील कुरेशी, सहायक प्रोग्रामर अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर द्वारा सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड से वर वक्त ट्रेप कार्यवाही 20,000/रूप्ये लेना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया गठित पाया गया। समय 7.15 पीएम पर आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी, सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 7.30 पीएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार व सहपरिवादी श्री मुकेश कुमार जाखड की निशानदेही से दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष घटना-स्थल का नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया। सहपरिवादी द्वारा पेश किये गये विभागीय मिनी वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी पुत्र श्री अलीमुद्दीन कुरेशी, उम्र-39 साल, निवासी-वार्ड नं0 17, नजदीक सब जेल, छावनी, नीमकाथाना, जिला सीकर, हाल सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर को लोकसेवक के पद पर होते हुए अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न

अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी राकेश कुमार (ई-मित्र संचालक) की आधार मशीन की बंद हुई आईडी को पुनः चालू करने एवं नई आधार मशीन की आईडी चालू करके देने तथा भविष्य में उक्त आईडी को बन्द नहीं करने की एवज में कुल 30,000/रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई थी। आरोपी द्वारा उक्त के संबंध में परिवादी व सहपरिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.10.2022 को 10,000/रूप्ये की मांग करना, वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.10.2022 को सहपरिवादी श्री मुकेश जाखड़ से मंथली बंधी के रूप 5000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त एवं दिनांक 10.10.2022 को परिवादी के उक्त कार्य के लिये सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड़ से 20,000/रूपये रिश्वती की मांग की गई। उपरोक्तानुसार रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 12.10.2022 को आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी, सहायक प्रोग्रामर अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर द्वारा सहपरिवादी मुकेश कुमार जाखड से ईशारा कर रिश्वती राशि के 20,000/- रूप्ये स्वयं की पेन्ट की बांयी जैब में डलवाये, जो आरोपी श्री श्री अब्दुल खलील कुरेशी से वक्त ट्रेप कार्यवाही बरामद किये गये। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री अब्दुल खलील कुरेशी पुत्र श्री अलीमुद्दीन कुरेशी, उम्र-39 साल, निवासी-वार्ड नं0 17, नजदीक सब जेल, छावनी, नीमकाथाना, जिला सीकर, हाल सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीमकाथाना, सीकर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अब्दुल खलील कुरेशी, हाल सहायक प्रोग्रामर, अतिरिक्त कार्यभार प्रोग्रामर, ब्लॉक कार्यालय सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, नीम का थाना, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 403/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3507-11 दिनांक 13.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-2,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्राद्योगिकी और संचार विभाग मुख्यालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

13.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।